



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221370
CG-DL-E-27082020-221370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2549]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942

No. 2549]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

का.आ. 2876(अ).— भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 1453(अ), दिनांकित 09 मई, 2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 (आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा से अनंतापुराम्) को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है। (जो इसके आगे “प्राधिकार” के रूप में उल्लिखित है)

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-42 के डिजाइन किमी 134/000 से किमी 201/930 (मौजूदा किमी 134/000 से किमी 202/050) तक खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 8.75 किमी लंबाई के निवल सड़क खंड के लिए तालिका (1) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और 59.00 किमी लंबाई के निवल सड़क खंड के लिए और 0.900 किमी (0.090 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु उद्गृहीत एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क भी देय और संदेय होगा अर्थात:-

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतापुराम् जिले में येराडोडुडी गांव के पास रारा-42 के किमी 158+215	59.000 किमी	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतापुराम् जिले में येराडोडुडी गांव के पास रारा-42 के किमी 158+215	8.75 किमी	तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतापुराम् जिले में येराडोडुडी गांव के पास रारा-42 के किमी 158+215	0.090 किमी	0.900 किमी	पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

व्यौरा निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	147.725	147.815	मुख्य पुल	0.090 किमी
कुल				0.090 किमी

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और कथित नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन परिचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 204.80 करोड़ रु. है। (चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए

जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं.आरडब्ल्यू/एनएच/12014/106/2014-एपी/पी-7/जोन-III(भाग)-भाग(1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2020

S.O. 2876(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1453 (E) dated 09th May, 2017 issued under section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway 42 (from Karnataka/Andhra Pradesh Border to Ananthapuramu) as situated within the State of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh. (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 8.75 Km and at sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 59.00 Km and for equivalent structure length of 0.900 Km (having length of 0.090 Km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Mudigubba to Ananthapuramu District border section from design Km. 134/000 to 201/930 (existing Km. 134/000 to 202/050) of National Highway No. 42, in the State of Andhra Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely

TABLE 1

Category of Vehicle	Base Rates of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
1	2
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (2 Axles)	2.20
Three Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (7 or More Axles)	4.20

- The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 158+215 of NH-42 near Yerradoddi Village in Anantapuramu District of Andhra Pradesh State.	59.000 Km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 158+215 of NH-42 near Yerradoddi Village in Anantapuramu District of Andhra Pradesh State.	8.75 Km	100% of the base rates mentioned in Table-1

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 :-

TABLE-3

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road Length (in km)	Rate at which fee is payable
Km. 158+215 of NH-42 near Yerradoddi Village in Anantapuramu District of Andhra Pradesh State.	0.090 Km	0.900 Km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under:-

Sl. No	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From (Km)	To (Km)		
1	147.725	147.815	Major Bridge	0.090 Km
Total				0.090 Km

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 265/- (Rupees Two Hundred and Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

TABLE-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-2008 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 204.80 crores. (The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately). The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40 % of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH/12014/106/2014/AP/P-7/Zone-III(Part)-Part(1)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.